



2026:AHC-LKO:993-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 203/2023

बुद्धिलाल

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं अन्य

...प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मों. तौसीफ सिद्दिकी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, नमित शर्मा, शरद नंदन ओझा

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता की ओर से इस जनहित याचिका पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद नंदन ओझा, विरोधी पक्षकार संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान राज्य अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

I. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा आदेश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारगण को विरोधी पक्षकार संख्या 6 और 7 द्वारा विरोधी पक्षकार संख्या 2 से 5 की सहायता से गाटा संख्या 443, ग्राम- सालेह नगर, तहसील- सरोजनी नगर, पुलिस थाना- आशियाना, जिला- लखनऊ में स्थित कब्रिस्तान (श्मशानघाट) पर किए गए अवैध अतिक्रमण/निर्माण को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए।

II. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा आदेश जारी करते हुए विरोधी पक्षकार संख्या 2 से 5 को आदेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिया जाए कि वे ग्राम- सालेह नगर, तहसील- सरोजनी नगर, पुलिस थाना- आशियाना, जिला- लखनऊ में स्थित श्मशान घाट (श्मशानघाट) की भूमि की रक्षा सुनिश्चित करें।

3. विद्वान राज्य अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि, अर्थात् सालेह नगर, तहसील- सरोजनी नगर, पुलिस थाना- आशियाना, जिला- लखनऊ में स्थित गाटा संख्या 443, राजस्व अभिलेख में कभी भी श्मशान के रूप में दर्ज नहीं थी। इसे कभी 'ऊसर', कभी 'परतीकलीम' और पुनः 'ऊसर' के रूप में दर्ज किया गया, लेकिन कभी भी श्मशान के रूप में नहीं।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, हमें इस मामले में कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता।

5. तदनुसार, जनहित याचिका का निस्तारण किया जाता है।

6. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश को उपर्युक्त गाटा के संबंध में किसी भी अवैध अतिक्रमणकारी को कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और इस संबंध में कोई भी शिकायत समुचित मंच या न्यायालय के समक्ष अलग से उठाई जा सकती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

7 जनवरी, 2026

अनुज सिंह